रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940
No. 338] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

भारतीय रिजर्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 5 सितम्बर 2018

आरबीआई/डीसीएम (एनई) सं. 631/08.01.01/2018-19.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 58 की उपधारा (1) तथा उप धारा (2) के खण्ड (थ) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 28 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 में संशोधन कर निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात :—

1. लघु शीर्षक तथा प्रारम्भ

(1) इन नियमों को भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) संशोधित नियमावली, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये सरकार के राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से अमल में आएंगे।

2. भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 के नियम 8 में :-

(क) उप नियम (1) में,

(i) "एक रूपया, दो रूपया, पाँच रूपया, दस रूपया तथा बीस" शब्दों को "पचास रूपये से कम" शब्द में बदला जाए;

(ii) "स्पष्टीकरण" तथा "सारणी 1" के लिए निम्नलिखित बदलाव किया जाएगा, अर्थात

"स्पष्टीकरण – इस उप नियम हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि पचास रूपये से कम मूल्यवर्ग के कटे फटे नोट के पूर्ण मूल्य का भुगतान तभी किया जा सकता है, जब प्रस्तुत नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा निम्न सारणी 1 के कॉलम 5 में दर्शाए अनुसार हो।

सारणी 1

मूल्यवर्ग	लंबाई (सेंटीमीटर)	चौड़ाई (सेंटीमीटर)	क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)	पूर्ण भुगतान हेतु आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	9.7	6.3	61.11	31
2	10.7	6.3	67.41	34
5	11.7	6.3	73.71	37
10	13.7	6.3	86.31	44
10 (नई महात्मा गांधी श्रृंखला)	12.3	6.3	77.49	39
20	14.7	6.3	92.61	47
20 (नई महात्मा गांधी श्रृंखला)	12.9	6.3	81.27	41
* "प्रत्येक मूल्यवर्ग में नोटों के क्षेत्र के आधे के बाद अगले पूर्ण अधिक वर्ग सेंटीमीटर के रूप में दर्शाया गया है।"				

(ख) उप नियम (2) में, -

(i) खण्ड (i) में आंकड़े "65" को आंकड़े "80" में बदला जाए;

(ii) खण्ड (ii) में आंकड़े "65" को आंकड़े "80" में बदला जाए;

(iii) खण्ड (iv) को निम्नलिखित खंड में बदला जाए;

"यदि पचास रूपये और इससे अधिक मूल्यवर्ग के कटे फटे नोटों के दावे में प्रस्तुत नोट को उसी नोट के दो टुकड़ों से बनाया गया हो और प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्र, अलग–अलग, उस मूल्यवर्ग के नोट के कुल क्षेत्र का 40 प्रतिशत से अधिक अथवा समान हो तो नोट के दावे का पूर्ण भुगतान किया जाए।"

(iv) "स्पष्टीकरण" तथा "सारणी 2" को निम्नलिखित में बदला जाए अर्थात :-

"स्पष्टीकरण - इस उप नियम हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि नोट के सबसे बड़े टुकड़े का न्यूनतम अविभाजित क्षेत्र नीचे सारणी 2 के कॉलम (5) अथवा (6) में दर्शाए अनुसार हो तो पचास रूपये और इससे अधिक मूल्यवर्ग के कटे फटे नोटों के मूल्य का भुगतान पूर्ण अथवा आधा, जैसा भी मामला हो, किया जाए।

सारणी 2

मूल्यवर्ग	लंबाई (सेंटीमीटर)	चौड़ाई (सेंटीमीटर)	क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)	पूर्ण भुगतान हेतु आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)@	आधा भुगतान हेतु आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	14.7	7.3	107.31	86	43
50 (नई महात्मा गांधी श्रृंखला)	13.5	6.6	89.10	72	36
100	15.7	7.3	114.61	92	46
100 (नई महात्मा गांधी श्रृंखला)	14.2	6.6	93.72	75	38
200	14.6	6.6	96.36	78	39
500	15.0	6.6	99.00	80	40
2000	16.6	6.6	109.56	88	44

@ प्रत्येक मूल्यवर्ग के नोट के क्षेत्र के 80% से अगले पूर्ण उच्च वर्ग सेंटीमीटर में पूर्णांकित ।
** प्रत्येक मूल्यवर्ग में नोट के क्षेत्र के 40% से अगले पूर्ण उच्च वर्ग सेंटीमीटर में पूर्णांकित ।

बी. पी. कानुनगो, उप गवर्नर

[विज्ञापन-III/4/असा./216/18]

नोट : प्रमुख नियम दिनांक 17 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या 125 के माध्यम से भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, धारा 4 में प्रकाशित किए गए थे ।

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th September, 2018

RBI/DCM (NE) No. 631/08.01.01/2018-19.—In exercise of the powers conferred by the proviso to section 28 read with sub-section (1) and clause (q) of sub-section (2) of section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Board of the Reserve Bank of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following rules to amend the Reserve Bank of India (Note Refund) Rules, 2009, namely:—

1. Short title and commencements:-

(1) These rules may be called the Reserve Bank of India (Note Refund) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Reserve Bank of India (Note Refund) Rules, 2009, in rule 8, -

(a) in sub-rule (1),

(i) for the words “one rupee, two rupee, five rupee, ten rupee and twenty”, the words “less than fifty rupees”, shall be substituted;

(ii) for the “Explanation” and “Table 1”, the following shall be substituted, namely: -

“Explanation : For the purposes of this sub-rule, it is hereby clarified that the value of a mutilated note of less than rupees fifty denomination may be refunded in full if the undivided area of the single largest piece of the note is as specified in column (5) of the Table 1 below.

TABLE 1

Denomination	Length (cm)	Width (cm)	Area (in cm^2)	Minimum area (in cm^2) required for payment of full value*
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	9.7	6.3	61.11	31
2	10.7	6.3	67.41	34
5	11.7	6.3	73.71	37
10	13.7	6.3	86.31	44
10 (New MG Series)	12.3	6.3	77.49	39
20	14.7	6.3	92.61	47
20 (New MG Series)	12.9	6.3	81.27	41
*Indicated as the next complete higher square centimetre after half of the area of the notes in a particular denomination.”;				

(b) in sub-rule (2), -

(i) in clause (i), for the figures “65”, the figures “80” shall be substituted;

(ii) in clause (ii), for the figures “65”, the figures “80” shall be substituted;

(iii) for clause (iv), the following clause shall be substituted: -

"if the claim of mutilated notes of rupees fifty and above denominations consist of a note composed of two pieces of the same note and the two pieces, individually have an area equal to or more than 40 percent of the total area of the note in that denomination, then the claim may be refunded for full value of the note.";

(iv) for the "Explanation" and "Table-2", the following shall be substituted namely: -

"Explanation : For the purposes of this sub-rule, it is hereby clarified that the value of a mutilated note of equal to or more than rupees fifty denomination may be refunded in full or half, as the case may be, if the minimum undivided area of the single largest piece of the note is as specified in column (5) or (6) of the Table 2 below.

TABLE 2

Denomination	Length (cm)	Width (cm)	Area (in cm^2)	Minimum area (in cm^2) required for payment of full value@	Minimum area (in cm^2) required for payment of half value**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	14.7	7.3	107.31	86	43
50 (New MG Series)	13.5	6.6	89.10	72	36
100	15.7	7.3	114.61	92	46
100 (New MG Series)	14.2	6.6	93.72	75	38
200	14.6	6.6	96.36	78	39
500	15.0	6.6	99.00	80	40
2000	16.6	6.6	109.56	88	44

@ Rounded off to the next complete higher square centimetre of 80% of the area of the notes in a particular denomination.

** Rounded off to the next complete higher square centimetre of 40% of the area of the notes in a particular denomination.".

B. P. KANUNGO, Dy. Governor

[ADVT.-III/4/Exty./216/18]

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number 125 dated the 17th July, 2009.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.09.06 23:07:10 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.